सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 128 राँची, गुरुवार

3 पौष, 1937 (श०)

24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-338/2014का॰-8910--उपायुक्त,राँची का पत्रा 123(i)/रा०,दिनांक 19 जुलाई, 2000 एवं पत्रांक-185(i) दिनांक-18 मई, 2006

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-737/रा०, दिनांक 26 फरवरी, 2004

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2397, दिनांक 8 मई, 2004; पत्रांक-5261, दिनांक 21 सितम्बर, 2004; पत्रांक-0358, दिनांक-11 दिसम्बर, 2004; संकल्प सं0-5972, दिनांक 8 नवम्बर, 2006; संकल्प सं0-8275, दिनांक 17 जुलाई, 2012; पत्रांक-1495, दिनांक 19 फरवरी, 2015 एवं पत्रांक-4538, दिनांक 21 मई, 2015

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-86, दिनांक 20 मार्च, 2014

श्री जे० एन० सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 110/03, गृह जिला- भोजपुर), के विरूद्ध अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 123(i)/रा०, दिनांक 19 जुलाई, 2000 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-737/रा०, दिनांक 26 फरवरी, 2004 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क ' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये है-

1. मौजा हुण्डरू के खाता सं०-312, प्लॉट संख्या-481, 551, 774,937 एवं 930, रकबा क्रमशः 0.76 एकड़, 0.67 ए०, 0.41 ए०, 1.32 ए० एवं 0.37 ए०, कुल रकबा 3.53 एकड़ भूमि बकास्त भुईहरी के रूप में बिरसा पाहन वल्द सुधा पाहन के नाम से गत आर0एस0 सर्वे खतियान में बकास्त भुईहरी के रूप में दर्ज है तथा पंजी-II में इस खाता सहित अन्य खाता कुल रकबा 18.62 ए0 भूमि की जमाबंदी बिरसा पाहन के नाम से दर्ज है। श्री जग नारायण सिंह (आरोपित) पर आरोप है, कि आरोपित ने खाता संख्या-312 के खेसरा सं0-937 एवं 938 कुल रकबा 6 (छः) कटठा भूमि की दाखिल-खारिज वाद संख्या 589 आर 27/86-87 से गैर-आदिवासी रविन्द्र नाथ प्रधान, पिता- रामप्रवेश प्रधान के नाम अवैध तरीके से स्वीकृत किये।

2. इसी प्रकार मौजा हुण्डरू के खाता सं0 316 के प्लाट सं० 962, रकबा 0.30 ए० एवं प्लॉट सं०-964, रकबा- 3.39 ए०, कुल रकबा-3.69 ए०, जमीन गत आर०एस० सर्वे खतियान में महलिया पाहन, पिता- मोम्बा पाहन के नाम से दर्ज है। पंजी-II में पहले बिरसा पाहन का नाम दर्ज था, बाद में इस खाता की कुल 3.69 ए० भूमि को मो० छेदी खाँ, पिता- मो० अजीज खाँ के नाम से वाद संख्या-15 आर०-27/1970-71 द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत होने का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात् उत्तराधिकार दाखिल वाद संख्या- 1765 आर-27/77-78 द्वारा बादल खाँ, पिता- छेदी खाँ के नाम से नामांतरण

स्वीकृत होने का उल्लेख है। बाद के वर्षो में 3.69 ए० भूमि की खरीद-बिक्री हुई तथा आरोपित के द्वारा दाखिल-खारिज वाद सं०-342/86-87 से लेकर 347/86-87 तक एवं 381/86-87 से 388/86-87 तक वाद सं०-422/86-87 एवं वाद सं०-447/86-87 से लेकर 451/86-87 तक तथा वाद सं०-453/86-87, 454/86-87, 455/86-87, 461/86-87, 462/86-87, 471/86-87, 474/86-87, 475/86-87, 499/86-87, 500/86-87, 543/86-87, 544/86-87, 561/86-87, 585/86-87, 586/86-87, 588/86-87, 592/86-87, 594/86-87, 595/86-87, 635/86-87, 657/86-87, 674/86-87, 12/87-88, 146/87-88, 147/87-88, 159/87-88, 472/86-87, 460/86-87, 473/86-87 एवं 675/86-87 कुल 50 उपरोक्त नामांतरण वादों के जरिये विभिन्न व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत की गई। उपर्युक्त जमीन भुईहर जमीन है एवं इसकी जमींदारी सरकार में आज तक निहित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में खरीदारों के नाम से नामांतरण स्वीकृत करना और सरकारी सरिस्ते में खरीददारो का नाम दर्ज करना सरासर गलत है। इसके अलावे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 और 49 के तहत् बिना उपायुक्त की अनुमति के आदिवासी रैयतों द्वारा अपनी भूमि बिक्री करने पर प्रतिबंध है। अतः अनियमित बिक्री के आधार पर आरोपित के द्वारा की गई दाखिल-खारिज अनियमित है एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2397, दिनांक 08 मई, 2004 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह, तत्कालीन सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-10(S), दिनांक 21 मई, 2004, पत्रांक-2524, दिनांक 9 जून, 2004 एवं पत्रांक-3438, दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए कतिपय अभिलेखों की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक-5261, दिनांक 21 सितम्बर, 2004 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से श्री सिंह द्वारा याचित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक-0358, दिनांक 11 दिसंबर, 2004 द्वारा उपायुक्त, राँची से उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने

का अनुरोध किया गया, जिसकी प्रतिलिपि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी । तदुपरांत, उक्त अभिलेखों के लिए उपायुक्त, राँची को इसके लिए स्मारित भी किया गया।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-185(i), दिनांक 18 मई, 2006 द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये। इस बीच सदृश्य आरोपों हेतु श्री नरेश कुमार तथा श्री राजेश कुमार, दोनों-तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा चुकी थी। इसलिए मामले की समीक्षा की गयी और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री सिंह के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं०-5972, दिनांक 8 नवम्बर, 2006 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् संचालन पदाधिकारी को बदलते हुए संकल्प सं०-8275, दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा श्रीमती शीला किस्कू रपाज, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्रीमती रपाज के पत्रांक-86, दिनांक 20 मार्च, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया। श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा विभागीय कार्यवाही के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अधीन आगामी 5 वर्षों तक पेंशन की मासिक राशि से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया। इसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1495, दिनांक 19 फरवरी, 2015 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्र, दिनांक 3 मार्च, 2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं दिये गये हैं, जो प्रस्थापित दण्ड को बदलने का आधार बनाता हो। अतः श्री सिंह के विरूद्ध पूर्व में

प्रस्तावित दण्ड को संपुष्ट करते हुए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के परन्तुक-(ग) के आलोक में विभागीय पत्रांक-4538, दिनांक 21 मई, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री सिंह के विरूद्ध प्रस्तावित पेंशन कटौती के दण्ड अधिरोपण हेतु सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में आयोग के पत्रांक-1894, दिनांक 10 अगस्त, 2015 द्वारा अपनी सहमति दी गयी। अतः श्री जग नारायण सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अधीन आगामी 5 (पाँच) वर्षों तक पेंशन की मासिक राशि से 10 (दस) प्रतिशत की राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जग नारायण सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 128—50 ।